R.M.M. Law College - Saharsa

P-1 | Manvendra Mandal | Subject - Contract - 1
Parttime Lecturer | Part - 1

विधिमान्य संविदा की अनिवार्य शर्तें (Necessary Condition of lawful Contract) → विधित: प्रवर्तनीय प्रत्येक करार संविदा होती है (धारा 2(h))। स्पष्ट है सभी करार संविदा नहीं होती है। कोई करार केवल तभी संविदा का रूप ले सकता है जब वह विधित: changable हो। उसे legally changable बनाने के लिए कतिपय आवश्यक शर्तों की पूर्ति अपेक्षित है, जिसका उल्लेख इस धारा में किया गया है। एक विधिमान्य संविदा के गठन के लिए निम्नांकित तत्वों का होना अनिवार्य है -

(1) करार का होना → प्रत्येक संविदा करार होती है। संविदा के लिए प्रस्थापना, प्रतिग्रहण, एवं प्रतिफल का होना आवश्यक है। करार दो पक्षकारों के बीच होता है, अत: संविदा में भी दो पक्षकारों का होना आवश्यक है।

(2) पक्षकारों का सक्षम होना - संविदा के पक्षकारों का सक्षम होना आवश्यक है। सक्षमता से अभिप्राय है -
(i) वयस्क या प्राप्तवय होना (ii) स्वस्थचित होना (iii) संविदा करने के लिए किसी विधि के अधीन अयोग्य नहीं होना

Scanned with CamScanner

P-2 विधिमान्य संविदा की अनिवार्य शर्तें (Necessary condition of lawful contract)

उदाहरणार्थ एक अप्राप्तवय व्यक्ति भागीदारी की संविदा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि इसी संविदा में अवयस्क व्यक्ति का संरक्षण भी उसका ~~representative~~ नहीं कर सकता। यदि ऐसा करार कोई कर लेता है तो वह illegal होता है। विधि के अधीन अवश्यक केवल भागीदारों के लाभों में सम्मिलित हो सकता है।

(3) स्वतंत्र सम्मति का होना → प्रत्येक करार पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति से किया जाना आवश्यक है। 'सम्मति' से अभिप्राय है— पक्षकारों का किसी एक बात पर एक ही भाव में सहमत होना, ऐसी सम्मति स्वतंत्र होती है यदि वह—

(i) प्रपीड़न द्वारा नहीं की गई हो,

(ii) असम्यक असर द्वारा नहीं की गई हो, (iii) कपट द्वारा नहीं की गई हो (iv) misrepresentation द्वारा नहीं की गई हो।

अपनी स्वतंत्र सम्मति से पक्षकार संविदा की कुछ भी शर्तें निश्चित कर सकते हैं बल्कि पक्षकारों का आशय विधिक दायित्व सृजित करने का रहा हो।

(4) विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य का होना— प्रत्येक करार किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है और उसमें प्रतिफल का होना आवश्यक है। प्रतिफल के बिना किया गया करार विधित: changeable नहीं होता प्रतिफल रहित करार (Nudum Pactum) को उच्चतम न्यायालय ने शून्य माना है। इसलिए प्रतिफल एवं उद्देश्य का भी विधिपूर्ण होना आवश्यक है। प्रतिफल एवं उद्देश्य विधिपूर्ण होता है यदि वह—

(i) विधि द्वारा निषिद्ध नहीं हो

(ii) वह इस प्रकृति का नहीं हो कि यदि उसे अनुज्ञात किया जाय तो वह किसी विधि के उपबन्धों को विफल कर देगा।

(iii) कपटपूर्ण नहीं हो (iv) किसी अन्य के शरीर या सम्पत्ति को क्षतिकारित करने वाला नहीं हो (v) अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध न हो

(5) अभिव्यक्त: शून्य घोषित नहीं किया जाना → किसी करार को अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। इस विधि नियम के अन्तर्गत निम्नांकित करारों को शून्य घोषित किया गया है — (i) दोनों पक्षकारों द्वारा तथ्य के भूल के अधीन किया गया करार (ii) प्रतिफल के बिना किया गया करार (iii) विवाह का अवरोधक करार

Scanned with CamScanner

P-3 विधिमान्य संविदा के आवश्यक शर्तें
(Necessary condition of lawful contract)
(iv) व्यापार का अवरोधक करार (v) विधिक कार्यवाहियों का अवरोधक करार (vi) अनिश्चित अर्थ वाला करार (vii) बाजी संविदा के तौर का करार (viii) असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार (ix) असंभव कार्य करने का करार

(6) लिखित एवं अनुप्रमाणित होना → संविदा का लिखित एवं अनुप्रमाणित होना आवश्यक है। सामान्यतः निम्नांकित करारों का लिखित, अनुप्रमाणित एवं रजिस्ट्रीकृत होना अनिवार्य माना गया है -
(i) अवधि बाधित ऋण के संदाय का करार
(ii) स्थावर सम्पति के अन्तरण का करार
(iii) किसी विवादग्रस्त मामले को मध्यस्था के लिए सुपुर्द करने का करार

इस सम्बन्ध में मे० मीराहुल एण्टरप्राइजेज बनाम श्रीमति विजया श्रीवास्तव के वाद में न्यायालय ने विधि मान्य करार की कतिपय शर्तों का उल्लेख किया है। किसी अचल सम्पति के विक्रय के करार के लिए यह आवश्यक माना गया है कि -
(i) सम्पत्ति निश्चित एवं पहचान योग्य हो
(ii) उसका प्रतिफल अर्थात मूल्य सुनिश्चित हो तथा
(iii) प्रतिफल का भुगतान कर दिया गया हो या भुगतान करने का वचन दिया गया हो।

अंतिम संविदा → इसी संदर्भ में यहाँ अन्तिम संविदा जिसे निष्कर्षात्मक संविदा (Concluded contract) भी कहा जा सकता है, का उल्लेख करना समीचीन है। अंतिम संविदा से अभिप्राय ऐसी संविदा से है जिसमें विधिमान्य संविदा की सभी शर्तों को पूरा कर दिया गया हो। इस सम्बन्ध में मोहम्मद उमर बनाम कलेक्टर मोरादाबाद के वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि - प्रस्थापना को प्रतिग्रहीत कर लेने तथा प्रतिफल का संदाय कर दिये जाने पर संविदा अन्तिम (Concluded) हो जाती है।

सरकारी संविदायें → सरकार के साथ की जाने वाली संविदाओं के सम्बन्ध में भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 175(3) एवं संविधान के अनुच्छेद 299(1) उपबन्धित प्रावधान लागू होते हैं। ये प्रावधान आज्ञापक हैं, इनके विपरीत किये गये करार शून्य होते हैं।

Scanned with CamScanner